

29/5/19

प्राची एवं प्राची के अधिवक्ता अनुपस्थित। आज उन्हें अदालत उठने तक बार बार आवाजे लगाई गई। परन्तु प्राची की भाँर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया। अतः एकत्र प्राची एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से अदम पेंशनी अदम एजिडी में खारिज किया जाता है। मिसल फौसल शुमार होकर नखर से कम होना बाद फिलर राखित है। आदेश आज सुप्रीम न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलियाँ)  
उपखण्ड अधिकारी  
मसला (अजमेर) राज.

